न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/23

देवलाल आत्मज श्री बाबू लाल जाति धाकड निवासी ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सवित्री बाई पत्नी श्री धनराज जी जाति धाकड ।
2. धनराज आत्मज श्री कन्हैया लाल जी जाति धाकड ।
3. कन्हैया लाल आत्मज मनन लाल जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. गणेशी बाई बेवा ।
   3/2. रामावतार आत्मज कन्हैया लाल ।
   3/3. घासी लाल आत्मज कन्हैया लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/3/1. चन्दा बाई बेवा घांसी लाल जाति धाकड ।
   3/3/2. मुकेश नागर आत्मज घांसीलाल जाति धाकड ।
   3/3/3. नरेन्द्र नागर आत्मज घांसी लाल जाति धाकड ।
   3/23/4. पिंकी पुत्री घांसीलाल जाति धाकड ।
   3/4. हेमलता पुत्री कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 02 किता की 1.88 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खाते में दर्ज है । उक्त भूमि के साथ अन्य भूमि प्रतिवादी कम 3 व देवलाल तथा अन्य खातेदारान के शामलाती खाते में चली आ रही थी । उक्त दोनों खसरा नम्बर बंटवारे में प्रतिवादी कम 3 व वादी को 1/2 – 1/2 हिस्से प्राप्त हुई है । प्रतिवादी कम 3 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी कम 1 को बेचान कर दी । उक्त भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के शामलाती कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रतिवोदीगण बदनियती पूर्वक वादी को उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि पर आने–जाने में व रास्ते में होकर निकलने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाए एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और उक्त भूमि पर आने–जाने के रास्ते में कोई रूकावट पैदा नहीं करे उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2013 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री जारी की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त की और न तहसीलदार को हल्का पटवारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ही लिया गया । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच रास्ता को लेकर कदीमी समय से विवाद चल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अंकित डिक्री पारित कर दी । राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 की पालना

नहीं की गई है । तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं आए हैं । पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर कदीमी समय से विवाद है जिसके बाबत् अतिरिक्त जिला कलक्टर रेवेन्यू एवं अतिरिक्त जिला जज क्रम 2 कोटा में कार्यवाही जैरकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 निरस्त फरमया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए हैं । विभाजन प्रस्ताव सहमति से तैयार किये गये हैं, अपीलान्ट के आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं । अपीलान्ट को अधिक आराजी दी गई है उनको 0.99 हैक्टर आराजी दी गई है और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.89 हैक्टर आराजी दी गई है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 1115 पर काबिज है और रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 1113 पर काबिज है । अपीलान्ट ने जिला न्यायाधीश कोटा के निर्णय की जो प्रमाणित प्रति पेश की है उसके अनुसार स्वयं अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि उनका आराजी खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.99 हैक्टर पर काफी अर्से से कब्जा है । प्रारम्भिक डिक्री की अपील अपीलान्ट ने नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.01.2013 के अनुसार प्रशासन गॉव के संग अभियान के दौरान विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित की गई है । आदेशिका पर देवलाल अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । पत्रावली पर अपीलान्ट की ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें उनके द्वारा खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.44 हैक्टर और खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.50 हैक्टर दक्षिण के तरफ की आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करने और उसी अनुसार खसरा नम्बरान की उत्तरी तरफ की भूमि को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 सावित्री बाई के खाते में दर्ज करने की प्रार्थना की है । एक अन्य प्रार्थना पत्र सावित्री बाई की ओर से पेश किया गया है जिसमें कथन किया है कि खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.89 हैक्टर प्रार्थिया को दी जावे और प्रतिवादी को खसरा नम्बर 1115 की आराजी दी जावे ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो बंटवारा प्रस्ताव संलग्न किये गये हैं वो पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं और उन्हें तहसीलदार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित किया गया है जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं । अपीलान्ट को मौके पर बुलाया गया है अथवा नहीं यह विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट नहीं हो रहा है । विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा भी नहीं बनाया गया है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया है और दोनों प्रार्थना पत्रों में जो तथ्य अंकित हैं वो समान नहीं हैं वरन् दोनों में ही विरोधाभास है । आपत्ति पेश करने का अवसर भी विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को नहीं दिया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जो आवश्यक है । इन तथ्यों के

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.01.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसील से प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा